भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1698

उत्तर देने की तारीखः 27.1**2**.201**8**

चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम

1698. श्री सुशील कुमार गुप्ताः

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि अध्यापक शिक्षा प्रणाली का उन्नयन करने तथा शिक्षण व्यवसाय का संवर्धन करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की घोषणा की है;**

**(ख) इस कार्यक्रम हेतु नामांकन कब तक प्रारंभ होगा; और**

**(ग) इस कार्यक्रम में प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों हेतु पात्रता के मापदण्ड क्या हैं**?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)

**(क) से (ग): जी, हां। चार वर्षीय बी.एड समेकित कार्यक्रम के लिए विनियम पहले ही 22 नवंबर, 2018 के राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं। चार वर्षीय समेकित अध्‍यापक शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता के मापदंड इन पाठ्यक्रमों के लिए निर्दिष्‍ट विनियमों के खंड 3.2 में परिभाषित किए गए हैं जिनमें यह उल्‍लेख किया गया है कि वरिष्‍ठ माध्‍यमिक अथवा प्‍लस टू परीक्षा अथवा इसके समकक्ष में न्‍यूनतम पचास प्रतिशत अंको के साथ शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 2 में खंड (ढ) में परिभाषित किसी ‘स्‍कूल’ से औपचारिक शिक्षा के साथ अभ्‍यर्थी प्रवेश के पात्र हैं। वरिष्‍ठ माध्‍यमिक अथवा प्‍लस टू परीक्षा अथवा इसके समकक्ष में अंको के प्रतिशत में छूट तथा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्‍य पिछड़े वर्गो अथवा नि:शक्‍त व्‍यक्‍तियों और अन्‍य श्रेणियों के लिए आरक्षण में छूट केंद्र सरकार अथवा राज्‍य सरकार अथवा संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासन, जो भी लागू हो, के नियमों के अनुसार होगी।**

**\*\*\*\*\***